आवेदन प्रपत्र मुल्य रू. 500.00

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

साँची घी सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु आवेदन पत्र

वर्ष 2025–2028

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

मक्सी रोड़ डेयरी प्लांट, उज्जैन–456010

दूरभाष – 2527061,2527068,2527066

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन–456010 (म.प्र.)

दूरभाष – 0734–2527068, फेक्स नं. 2527063

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

साँची घी सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

साँची घी के सुव्यवस्थित वितरण एवं विक्रय के लिए घी सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक आवेदनकर्ता फर्म/प्रतिष्ठान इस कार्य के नियम एवं शर्तो की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाईट http://www.sanchidairy.com से अवलोकन हेतु प्राप्त कर सकते है। सुपरस्टॉकिस्ट की नियुक्ति की कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 23.09.2025 को www.sanchidairy.com से रू.500/– के क्रय मूल्य पर समय 12:00 बजे से
2	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 13.10.2025 समय 12:00 बजे तक
3	आवेदन प्रपत्र के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 13.10.2025 समय 02:00 बजे से, उज्जैन दुग्ध संघ उज्जैन
4	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रू.50,000/– (राशि रू. पचास हजार मात्र) जमा करें। (डी.डी. संलग्न करें।)

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी आवेदनकर्ता को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से आवेदन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा फिर आवदेन पत्र में सुपरस्टॉकिस्ट कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्ते विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजो को संलग्न कर आवेदन पत्र के क्रय मूल्य रू.500/–की डीडी सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मे यथा ईएमडी राशि सहित भौतिक रूप से जमा करें। प्राप्त आवेदन प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् घी सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। एक स्थान के लिये, एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लॉटरी प्रक्रिया द्वारा घी सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु चयन किया जाएगा।

घी सुपरस्टॉकिस्ट की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर घी सुपरस्टॉकिस्ट का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में अनुबंध अवधि एक–एक वर्ष निरंतर अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि आवेदन प्रपत्र में कोई सुधार/संशोधन किया जाता हैं तो यह केवल उपर दी गई एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित/सूचित नही किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

आवेदन प्रपत्र का कार्यक्रम प्रपत्रों की जानकारी

1	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक 23.09.2025 को www.sanchidairy.com से रू. 500/— के क्रय मूल्य पर समय 12:00 बजे से
2	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 13.10.2025 समय 12:00 बजे तक
3	आवेदन प्रपत्र के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 13.10.2025 समय 02:00 बजे से, उज्जैन दुग्ध संघ उज्जैन
4	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रू.50000/— (राशि रू. पचास हजार मात्र) जमा करने हेतु डी.डी संलग्न करें।
5	आवेदन प्रपत्र का मुल्य	रूपये 500/— पांच सौ मात्र)
6	आवेदन खोलने का स्थान एवं पता	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन
7	घी सुपरस्टॉकिस्ट हेतु तकनीकी अर्हताएं एवं सामान्य शर्तो का प्रारूप	प्रपत्र 01 एवं 02
8	आवेदन प्रपत्र	प्रपत्र — 03

आवेदन प्रपत्र भरने हेतु ध्यान रखने योग्य तथ्यः—

1. प्रपत्र क्र. 01 ''आवेदनकर्ता की आवश्यक अर्हताऐं'', प्रपत्र क्र.02 ''सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु आवश्यक अंहर्ताएं एवं प्रपत्र क्र.03 ''आवेदन पत्र'' की एक बंद लिफाफे में रखें लिफाफे पर लिफाफा A अंकित करें।
2. लिफाफा A एक अन्य लिफाफे में रखें एवं उस लिफाफे पर प्रतिभागी आवेदनकर्ता, अपना नाम, पता एवं जिस जिले हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते है स्पष्ट रूप से अंकित कर दुग्ध संघ कार्यालय में दिनांक 13.10.2025 को दोपहर 12.00 बजे तक जमा करें। सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु सभी आवश्यक अर्हताएं सफल पाये जाने पर चयन प्रक्रिया संबंधि कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।

प्रपत्र क्र.1

आवश्यक अर्हताऐं

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
उज्जैन।

महोदय,

उज्जैन दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत .... जिले में साँची घी सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु दिनांक....................को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित अभिरूचि की अभिव्यक्ति के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि मेरा आवेदन नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

तकनीकी अहर्ताएं

क्रमांक	आवश्यक अहर्ताएं	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1.	आवेदनकर्ता का नाम व पता (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप / एकल स्वामित्व / जवाइंट वेंचर / कंर्सोटियम)		आवेदक का नाम (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप / एकल स्वामित्व / जवाइंट वेंचर / कंर्सोटियम) अंकित करे।
2	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशीप डीड की छायाप्रति।
3	आवेदनकर्ता (संस्था / फर्म / जवाइंट वेंचर / कंर्सोटियम) होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था / फर्म के संचालक मंडल / मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र या आधार कार्ड की छायाप्रति।
4	आवेदनकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5	GST नम्बर होना अनिवार्य है।		GST नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें।
6	खाताधारक के निरस्त चेक की प्रति।		तदाशय के खाताधारक स्वयं का निरस्त चैक की प्रति संलग्न करें।
7	1.मंदसौर जिले हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में 8 करोड़, वर्ष 2022–23 में 8 करोड़ एवं वर्ष 2023–24 में 8 करोड़ के टर्नओव्हर की सत्यापित प्रति संलग्न करें। 2. नीमच जिले हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में 8 करोड़, वर्ष 2022–23 में 8 करोड़ एवं वर्ष 2023–24 में 8 करोड़ के टर्नओव्हर की सत्यापित प्रति संलग्न करें।		तीन वर्षों का (P&L Acct.) लाभ–हानि खाता की सीए द्वारा सत्यापित प्रति। संलग्न करें।
8	वित्तीय वर्ष 2021–2022 2022–2023 एवं 2023–2024 का आयकर रिर्टन (Acknowledgement) संलग्न करना अनिवार्य है।		तदाशय की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।
9	आवेदक के पास जीवित वैध FSSAI		जीवित वैध FSSAI लायसेन्स की

	लायसेन्स होना अनिवार्य होगा।		छायाप्रति संलग्न करें
10	आवेदक का जीवित वैध गुमास्ता लायसेंस		जीवित वैध गुमास्ता लायसेन्स की प्रति संलग्न करें।
11	घी/एफएमसीजी अंतर्गत खाद्य वस्तुओं के वितरक कार्य हेतु कार्य का न्यूनतम 3 वर्षो का अनुभव		कार्यादेश/अनुबंध की छायाप्रति संलग्न करें।
12	ई.एम.डी. राशि रू.50,000/—हजार)		तदाशय की डी.डी. जो कि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन के पक्ष में देय होगी संलग्न करें।
13	आवेदन क्रय करने हेतु रू.500/—		तदाशय की डी.डी. जो कि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन के पक्ष में देय होगी संलग्न करें।
14	आवेदक (फर्म/कम्पनी/पार्टनशिप/एकल स्वामित्व/जवाइंट वेंचर/कंर्सोटियम) को किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो तथा पुलिस थाने/मा. न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित नहीं है।		तदाशय का शपथ पत्र रू 100/— के नोटराईज्ड स्टॅाम्प (टिकट सहित) पर प्रस्तुत करें। निविदा प्रपत्र के प्रपत्र 04 में प्रारूप संलग्न है।
15	म.प्र. राज्य में स्थित उद्यमी एम.एस. एम.ई का सर्टिफिकेट संलग्न करें।		तदाशय के एम.एस.एम.ई के सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न करें। केवल म.प्र. राज्य में स्थित MSME उद्यमियों के लिए ईएमडी राशि में छूट रहेगी।
16	वर्तमान में म.प्र. के किसी भी दुग्ध संघ में कार्यरत् घी सुपरस्टॉकिस्ट/घी वितरक का दुग्ध संघों से किसी भी प्रकार की लेनदारी व देनदारी शेष नही होने संबंधी प्रमाण पत्र।		संबंधित दुग्ध संघ से प्राप्त नोड्यूज की प्रति।
17	प्रपत्र क्र. 01, 02 एवं 03 की प्रति		तदाशय के स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करे।

नोट :— (1) **उक्त समस्त दस्तावेजों की आवेदनकर्ता (फर्म/कम्पनी/पार्टनशिप/एकल स्वामित्व/जवाइंट वेंचर/कंर्सोटियम)** को **स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ तथा ईएमडी राशि की डीडी यथा आवेदन पत्र के क्रय मूल्य की रसीद संलग्न करना अनिवार्य है। दस्तावेज स्वप्रमाणित न पाए जाने पर ऐसे आवेदन अमान्य घोषित होंगें।**

(2) **उपरोक्त दस्तावेजो में से कोई भी दस्तावेज कम पाए जाने पर ऐसे आवेदन अमान्य घोषित होंगे।**

हस्ताक्षर————————————————
नाम :— ————————————————
पता :— ————————————————
————————————————
टेलीफोन नं.————————————————
मोबाईल नं ————————————————

(सामान्य शर्ते)
प्रपत्र क्रमांक – 02

सॉंची घी सुपरस्टॉकिस्ट आवेदन हेतु आवश्यक शर्तें

1. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।

2. **चयन प्रक्रिया** :– घी सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु चयन का आधार निम्नानुसार होगा।

मंदसौर जिले हेतु–

2.1 मंदसौर जिले हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रूपये 8 करोड़ के टर्नओवर होने पर पांच अंक दिए जायेगे। इस प्रकार कुल 15 अंक दिए जायेगे।

2.2 चयन हेतु कुल 15 अंक निर्धारित किए गए है। परंतु यदि आवेदक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में 8 करोड से अधिक का टर्न ओव्हर संलग्न किया जाता है तो उसे 5 अतिरिक्त अंक दिए जायेंगें एवं इस प्रकार अधिकतम टर्न ओव्हर के आधार पर आवेदक का चयन मंदसौर जिले हेतु किया जाएगा। आवेदकों के मध्य किसी भी परिस्थिति में समान टर्न ओव्हर होने पर चयन का आधार से लॉटरी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

नीमच जिले हेतु–

2.3 नीमच जिले हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रूपये 8 करोड़ के टर्नओवर होने पर पांच अंक दिए जायेगे। इस प्रकार कुल 15 अंक दिए जायेगे।

2.4 चयन हेतु कुल 15 अंक निर्धारित किए गए है। परंतु यदि आवेदक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में 8 करोड से अधिक का टर्न ओव्हर संलग्न किया जाता है तो उसे 5 अतिरिक्त अंक दिए जायेंगें एवं इस प्रकार अधिकतम टर्न ओव्हर के आधार पर आवेदक का चयन नीमच जिले हेतु किया जाएगा। आवेदकों के मध्य किसी भी परिस्थिति में समान टर्न ओव्हर होने पर चयन का आधार से लॉटरी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

3. सफल आवेदक को उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत घी वितरकों की नियुक्ति की जाएगी परन्तु उसे घी वितरकों की नियुक्ति करने के पूर्व दुग्ध संघ प्रबंधन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

4. सफल आवेदक को बतौर सुरक्षा निधि राशि रूपये निम्नानुसार जमा करना अनिवार्य होगा।

4.1 मंदसौर जिले हेतु राशि रू. 5,00,000/–का नगद डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन के पक्ष में देय होगा। चयन के पश्चात् प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दुग्ध संघ में जमा नगद राशि पर कोई भी ब्याज दुग्ध संघ द्वारा देय नही होगा।

4.2 नीमच जिले हेतु राशि रू. 5,00,000/–का नगद डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन के पक्ष में देय होगा। चयन के पश्चात् प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दुग्ध संघ में जमा नगद राशि पर कोई भी ब्याज दुग्ध संघ द्वारा देय नही होगा।

5. सफल आवेदक द्वारा चयन के पश्चात् सुरक्षा निधी राशि जमा नही करने पर एवं अपना आवेदन वापस लेने की स्थिति में आवेदक का आवेदन निरस्त कर एवं ई.एम.डी. राशि राजसात कर उसका नाम काली सूची में डाला जावेगा जो कि सफल आवेदक पर बंधनकारी होगा।

6. सफल आवेदनकर्ता के पास सॉची घी के व्यवस्थित भंडारण हेतु स्वयं के नाम पर फोकल पाईंट (गोडाउन) का होना अनिवार्य होगा। चयन के पश्चात् सफल आवेदक को घी के भंडारण हेतु फोकल पाईंट (गोडाउन) से संबंधित दस्तावेज दुग्ध संघ में कार्यादेश जारी होने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. सफल आवदेक को चयन के पश्चात् दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों के अनुसार रूपये 1000/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध संपादित करना होगा। अनुबंध के निष्पादन हेतु अनुबंध पत्र का प्रारूप कार्य आवंटन के पश्चात् सफल आवेदक दुग्ध संघ से प्राप्त करेगे।

8. सफल आवेदक को घी सुपरस्टॉकिस्ट हेतु तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया जावेगा, तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति, बाजार में व्यवसायिक साख इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोष जनक होने पर इसमें प्रबंधन के निर्णय अनुसार एक—एक वर्ष कर दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।

9. सफल आवेदक एक्स डेयरी दुग्ध संघ से सीधे अग्रिम भुगतान पर अपने स्वयं के नाम से पंजीकृत वाहन से घी प्राप्त करेगें एवं वितरकों को वितरक दर पर उनके वितरण स्थल पर FOR पंहुचाकर प्रदायगी सुनिश्चित करेगे। यदि सुपरस्टॉकिस्ट के द्वारा ऐसा नही किया जाता हैं तो प्रथम दृष्टया रूपये 5000/—का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जाएगा। पुनरावृत्ति पाए जाने पर कार्य निरस्त कर दिया जायेगा। सुपरस्टॉकिस्ट के द्वारा घी क्रय किए जाने हेतु अग्रिम भुगतान नही करने पर उसे घी की प्रदायगी किया जाना संभव नही होगा एवं दुग्ध संघ सीधे वितरकों को घी प्रदायगी करने हेतु स्वतंत्र होगा।

10. घी सुपरस्टॉकिस्ट अपने विक्रय स्थल से सीधे उपभोक्ताओं को घी विक्रय नही करेगे। यदि ऐसा पाया जाता है तो प्रथम दृष्टया रूपये 10000/—का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जाएगा। पुनरावृत्ति पाए जाने पर कार्य निरस्त कर दिया जायेगा।

11. सुपरस्टॉकिस्ट को सम्पूर्ण जिले में आपना स्वयं का नेटवर्क स्थापित करना होगा व दुग्ध संघ द्वारा प्रदत्त घी विक्रय हेतु लक्ष्यों को पूरा करना अनिवार्य होगा। यदि अनुबंध अवधि में लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धि प्राप्त नही की जाती हैं तो अनुबंध अवधि में वृद्धि किए जाने का अधिकार दुग्ध संघ प्रबंधन के पास निहित होगा।

12. सुपरस्टॉकिस्ट को नेटवर्क स्थापित करने हेतु कम से कम 4 विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर सम्पूर्ण जिले हेतु रखना होगा एवं आवश्यकता अनुसार वृद्धि करना होगी।

13. सफल आवेदक विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार करवायेगा इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा पृथक से किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नही दिया जाएगा।

14. किसी भी आवेदन को सकारण बताये निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास निहित होगा।

15. वर्तमान में म.प्र. के किसी भी दुग्ध संघ के साथ कार्य कर रहे वितरक/वितरक सह—परिवहनकर्ता/सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लिया जाता है तो आवेदन करते समय वर्तमान अनुबंध से सबंधित लेनदारी—देनदारी का पूर्ण हिसाब कर बकाया

धनराशि एवं क्रेट दुग्ध संघ में जमा कर नोड्यूज प्राप्त कर तकनिकी अंहर्ताओं के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

16. दुग्ध संघ द्वारा घी सुपरस्टॉकिस्ट को प्रदाय किये गये घी की समस्त धनराशि आर.टी.जी. एस/एन.ई.एफ.टी के माध्यम से जमा करेगा अथवा संघ में रेखाकिंत (दुग्ध संघ के हित में) धनादेश देगा। (जो भी लागू हो) धनादेश लगाकर भुगतान प्राप्त किया जाऐगा। धनादेश अनादरित होने की स्थिति निम्नानुसार भुगतान प्राप्त किया जाएगा।

A- धनादेश के अनादरित होने पर रू.20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के अनादरित होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रू.1000/— के मान से वसूली जावेगी। रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश अनादरित होने पर अर्थदंड रू.2000/— प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।

B- यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस की भीतर थोक विक्रेता द्वारा लागू अर्थदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8वें दिवस से 14वें दिन के लिए अर्थदंड की राशि रू.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रू.2000/— प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू.4000/— प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

C- यदि इसके पश्चात् भी थोक विक्रेता द्वारा मूल राशि के साथ—साथ लागू उक्त अर्थदंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रू.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि रू.3000/— प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू.6000/— प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

D- समस्त घी थोक विक्रेता के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ—साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

17. सफल आवेदनकर्ता का कार्यालय/दुकान/गोडाउन पर अन्य प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड का घी विक्रय करते हुए पाए जाता है तब प्रथम दृष्टया राशि रू. 10,000/—का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। पुर्नरावृत्ति होने पर सफल आवेदक की सुरक्षा निधि राशि राजसात कर उसे ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।

18. यदि पक्षकारों के बीच अनुबंधित कार्य के विषय में कोई विवाद खड़ा हुआ तो उस स्थिति में प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ, भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। निराकरण न होने की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) Arbitration and conciliation act 1996) के तहत् निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

19. यह कि किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सहकारी न्यायालय उज्जैन होगा।

20. प्रतिभागी आवेदनकर्ता आवेदन पत्र www.sanchidairy.com से डाउनलोड कर प्राप्त करेगें व आवेदन पत्र में चाही गई समस्त वांछित जानकारी व वांछित दस्तावेज स्वप्रमाणित कर आवेदन के साथ संलग्न करेगे। आवेदन में किसी भी प्रकार की ओव्हर राईटिंग नही करेगे। यदि किसी भी प्रकार की ओव्हर राईटिंग पाई जाती हैं अथवा अपठनीय प्रतित होती हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसे आवेदकों के आवेदन अमान्य किया जाएगा अतः आवेदक, आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी व दस्तावेजों को भलीभाति पढ़कर व समझ कर ही ओवदन पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।

21. प्राप्त आवेदनों को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित तीथि एवं समय पर दुग्ध संघ सभाकक्ष में समिति सदस्यों के द्वारा प्रतिभागी आवेदकों के समक्ष खोला जाएगा।

22. प्रतिभागी आवेदनकर्ता घी सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु सुपरस्टॉकिस्ट कमीशन, वितरक कमीशन, विक्रेता कमीशन की जानकारी आवेदन पत्र जमा करने के पांच दिवस पूर्व किसी भी कार्यालयीन दिवस में दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

23. सफल आवेदक को घी की प्रदायगी एडवांस पेमेंट के पश्चात् ही की जाएगी। अतः सफल आवेदन घी की डिमांड एक दिवस पूर्व प्रातः 11:00 बजे तक दुग्ध संघ में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगे व आरटीजीएस के माध्यम से एडवांस पेमेंट का भुगतान करेगे। एडवांस पेमेंट की पुष्टि होने के पश्चात प्राप्त डिमांड के आधार पर ही घी की प्रदायगी सुनिश्चित की जाएगी बिना एडवांस पेमेंट के घी की प्रदायगी किया जाना संभव नही होगा।

24. सफल आवेदनकर्ता को उसकी नियुक्ति के पश्चात् साँची घी सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु समस्त औपचारिकताएं एक माह के अंदर प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समय के पश्चात औपचारिकताएं पूरी नही करने की स्थिति में दुग्ध संघ प्रबंधन का निर्णय सर्वोपरि होगा।

25. केवल म.प्र. राज्य में स्थित MSME उद्यमियों के लिए ईएमडी राशि में छूट रहेगी। परंतु MSME उद्यमियों को ऑनलाईन MSME के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलन करना अनिवार्य होगा। बिना प्रमाण पत्र संलग्न किए ऐसे आवेदन अपात्र घोषित की जाएंगी।

घोषणा–

मेरे/हमारे द्वारा घी सुपरस्टॉकिस्ट कार्य की सभी नियम एवं शर्तों कों भलीभांती अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़कर समझ लिया गया है एवं मुझे/हमें कार्य की सभी शर्तें मान्य है। यदि मेरे/हमारे द्वारा कोई भी शर्तो के उल्लंघन किया जाता है। मेरे/हमारे विरूद्ध उज्जैन दुग्ध संघ प्रबंधन किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा एवं इस हेतु मै/हम अपनी सहमती देते है।

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता

प्रपत्र क्रमांक – 03

साँची घी सुपरस्टॉकिस्ट हेतु
आवेदन प्रपत्र

पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्व प्रमाणित)

1. आवेदनकर्ता का नाम ....
(फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप फर्म / एकल स्वामित्व)

2. पिता / पति का नाम ....
3. स्थाई / वर्तमान पता ....
....
4. दूरभाष / मोबाईल नं. ....
5. ई–मेल एड्रेस ....
6. घी सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु प्रस्तावित जिले का नाम [ ]

(आवेदनकर्ता वितरक कार्य हेतु उपर दिए गए खण्ड में स्थान का नाम लिखे)

7. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें) ....
....

8. (अ) पेन नम्बर ....
(ब) आधार कार्ड नम्बर...

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

मेरे द्वारा साँची घी सुपरस्टॉकिस्ट हेतु आवेदन की समस्त शर्ते पढ़ व समझ ली है तथा मैं / हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हुँ / है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या मैं आवेदन की शर्त के बिन्दु क्रमांक 01 से 08 तक वर्णित शर्तों को पालन नही करता हूँ, तो मेरा आवेदन / अनुबंध निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी / प्रतिभूति राशि राजसात करने का प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर का नाम एवं पूर्ण पता

....

....

<u>प्रपत्र क्र. 04</u>

शपथ पत्र का प्रारूप

<u>(केवल रू. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)</u>

मै/हम .... आत्मज .... आयु .... निवासी .... यह कि मेरे/हमारे द्वारा .... जिले में साँची घी सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझे/हमे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा कभी भी किसी भी कार्य से अद्यतन स्थिति तक ब्लैक लिस्टेड नही किया गया है।
2. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक .... (संबद्ध दुग्ध संघ/कंपनी का नाम अंकित करें) द्वारा किसी भी पुलिस थाने/मा.न्यायालय किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण/वाद लंबित नही है।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

1. गवाह
   नामः-..
   पताः- ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं...
2. गवाह
   नामः-..
   पताः- ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं...

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 से 02 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... उज्जैन **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**